GCMS संख्या 2022 / 38
प्रकरण संख्या 04 / 22
शम्भूलाल बनाम ग्रा.पं. बांसड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 38

प्रकरण संख्या 04 / 2022

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री शम्भूलाल जाट   बनाम   ग्राम पंचायत बांसड़ा

ग्राम पंचायत बासंड़ा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1688 दिनाक 06.12.2010 के विरूद्ध नामान्तरण अपील

निर्णय   **दिनांक : 22.02.2022**

1. अपीलांट श्री शम्भूलाल पिता लालू जाट निवासी बांसड़ा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत बांसड़ा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1688 दिनाक 06.12.2010 के विरूद्ध नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसमें अपीलांट ने निवेदन किया कि मोजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में के खाता संख्या 696 आराजी संख्या 105, 106, 107, 108, 1858, 1859, 1863, 1866, 1873, 1954, 1969, 1972, 1975, 1991, 2151, 2155, 86 कुल किता 17, कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर भूमि प्रतापी पत्नि लालु 1/4, बदामी पुत्री लालु 1/4, भूरीबाई पुत्री लालु 1/4, शम्भूलाल पुत्र लालू 1/4 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता लालु पिता गोकल जाट की मृत्यू के पश्चात् विरासत के नामान्तरण संख्या 1688/06.12.2010 से दर्ज किया गया जो सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जबकि लालू पिता गोकल जाट के वारिस शम्भूलाल पुत्र लालु, पुष्पा पुत्री लालु, नानी पुत्री लालु, धापु पुत्री लालु एवं प्रतापी पुत्री लालु है। जबकि नामान्तरण संख्या 1688/06.12.2010 से दर्ज विरासत से बदामी, भूरीबाई, के नाम का अकंन हो गया है जो प्रार्थी के पिता श्री लालू पिता गोकल की पुत्री न होकर बहने है जबकि उक्त खाते में पुत्री होना बताया है जो गलत है। जबकि मृतक लालु की पुत्रिया पुष्पा, नानी एवं धापु है। जिनका विरासत से दर्ज होना चाहिए था।

2. उपरोक्त प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट बदामी पुत्री गोकल एवं छगनलाल जाट पुत्र भूरी बाई ने उक्त अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] लालु पिता गोकल निवासी बांसड़ा का निधन दिनांक [illegible] को हो जाने उपरान्त विरासत का नामान्तरण खोला गया जिसमें मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में के खाता संख्या 696 आराजी संख्या 105, 106, 107, 108, 1858, 1859, 1863, 1866, 1873, 1954, 1969, 1972, 1975, 1991, 2151, 2155, 86 कुल किता 17, कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर भूमि प्रतापी पत्नि लालु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

1/4, बदामी पुत्री लालु 1/4, भूरीबाई पुत्री लालु 1/4, शम्भूलाल पुत्र लालू 1/4 के नाम दर्ज हो गया है जिसमें बदामी पुत्री गोकल एवं भूरी बाई पुत्री गोकल है। लालु पिता गोकल होकर हमारा भाई है। अतः रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया है कि विरासत के उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाकर नये सिरे से नामान्तरण अपीलांन्ट शम्भूलाल के अनुसार खोला जाये। रेस्पोन्डेन्ट ग्राम पंचायत की ओर से भी अपील के बहस में निवेदन किया कि सहवन से नामान्तरण में लालु पिता गोकल की मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्री की बजाय लालु की बहन का नाम दर्ज हो गया जो गलत है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दिये गये तथ्य, दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र पर मनन किया एवं अन्य नामान्तरण मौजा बॉसड़ा, पटवार हल्का बॉसड़ा, तहसील भीण्डर के नामान्तरण संख्या 1983 दिनांक 05.11.2015 जिसमें हम यह मानते है कि अपीलांट श्री शम्भूलाल द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नामान्तरण संख्या 1688/06.12.2010 में विरासत से दर्ज मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में के खाता संख्या 696 आराजी संख्या 105, 106, 107, 108, 1858, 1859, 1863, 1866, 1873, 1954, 1969, 1972, 1975, 1991, 2151, 2155, 86 कुल किता 17, कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर भूमि प्रतापी पत्नि लालु 1/4, बदामी पुत्री लालु 1/4, भूरीबाई पुत्री लालु 1/4, शम्भूलाल पुत्र लालू 1/4 के नाम दर्ज हो गया है जिसमें बदामी पुत्री गोकल एवं भूरी बाई पुत्री गोकल है जो लालु पिता गोकल की वारिस ना होकर बहने है। नामान्तरण संख्या 1688/06.12.2010 से जो विरासत का नामान्तरण खोला गया जो नियमानुसार नही होकर त्रुटिपूर्ण है। अतः नामान्तरण संख्या 1688/06.12.2010 को निरस्त किया तहसीलदार भीण्डर को प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है, लालु पिता गोकल के वारिसानों की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

4. निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

22/2/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner